मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 2998/MGNREGS-MP/NR-3/2010 दिनांक 27/03/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

जिला – समस्त मध्यप्रदेश।

विषय :– वर्ष 2013 तक म.प्र. के समस्त बसाहटों को बारहमासी ग्रामीण सड़क से जोड़ने बाबत् –कार्ययोजना

–––––0–––––

1. पृष्ठभूमि :

पिछले कुछ वर्षों में राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क (PMGSY) योजनान्तर्गत 34719 कि.मी. सड़क का निर्माण किया जाकर 12053 ग्रामों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 20422 कि.मी. सड़क निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, तब भी राज्य के बहुत से ग्राम भविष्य में इस कार्यक्रम से अछूते रह जायेंगे। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार कर उसे वर्ष 2013 तक कार्यान्वित कर दिया जाए।

2. उद्देश्य :

ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित होती है। राज्य की 73.54 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। जीवन यापन के स्तर में सुधार एवं आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे सभी ग्रामों में निवास कर रहे लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाए। इससे न केवल आवागमन की सुविधा हो सकेगी बल्कि ग्रामों में कृषि तकनीक के आदान–प्रदान एवं कृषि उपज विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ बेहतर

तरीके से संभव हो सकेगा। इस व्यापक उद्‌देश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) एवं बी.आर.जी.एफ. योजना द्वारा वित्त पोषित एवं अभिसरित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 2010–2013 के दौरान किया जावेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर निर्मित होंगे एवं अनुमानतः 1416.46 लाख मानव दिवस सृजित होंगे। इस तरह की सड़कों के निर्माण के बाद भविष्य में एम.जी. एन.आर.ई.जी.एस. पोषित रख–रखाव से भी रोजगार के अवसर निरन्तर उपलब्ध हो सकेंगे।

3. कार्य का स्वरूप :

3.1 योजना का कार्यक्षेत्र प्रदेश के समस्त 50 जिलों में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र होंगे।

3.2 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के कोर नेटवर्क से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में प्राथमिक अनुमान में कुल 19386 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण कर PMGSY की कार्ययोजना से छूटे हुए शेष ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी दिया जाना है। यह कार्य बारहमासी सड़क योजना अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में प्रोजेक्ट मोड में, योजनाबद्ध तरीके से, निम्नानुसार कराया जाना प्रस्तावित है–

वित्तीय वर्ष	वर्षवार निर्मित की जाने वाली सड़क की लंबाई	कुल सड़क की लंबाई का प्रतिशत
1	2	3
2010–11	5816 कि.मी.	30 प्रतिशत
2011–12	7754 कि.मी.	40 प्रतिशत
2012–13	5816 कि.मी.	30 प्रतिशत
कुल योग	19386 कि.मी.	100 प्रतिशत

3.3 जिलेवार विस्तृत जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट – 1.1** (500 कि.मी. से अधिक लंबाई की सड़कों वाले जिले) एवं **परिशिष्ट – 1.2** (500 कि.मी. से कम लंबाई की सड़कों वाले जिले) पर संलग्न है।

3.4 प्रदेश अन्तर्गत जिलो की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वाइल स्ट्रेटा के आधार पर प्रति किलो मीटर ग्रेवल सड़क की लागत रु. 11.34 लाख से रु. 19.92 लाख तक अनुमानित है।

लागत मे इस प्रकार का अन्तर जिले के अन्दर भी संभावित है। (तालिका **परिशिष्ट – 1.3**)

3.5 बारहमासी सड़क योजना अंतर्गत ग्रेवल मार्ग का निर्माण कराया जावेगा। जिसमें वृहद स्वरूप के पुलों को छोड़कर पाईप कल्वर्ट, वेन्टेड काजवे एवं 6.0 मी. तक स्पान के स्लैब एवं बाक्स कल्वर्ट बनाए जावेंगे। पुल पुलियों का यह कार्य सामग्री बाहुल्य होने से, क्लस्टर एप्रोच के अंतर्गत ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा।

4 केन्द्र तथा राज्य की योजनाओं का अभिसरण (CONVERGENCE) :

4.1 एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस :

4.1.1 **एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस**. के प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार मुहैया कराना एवं ग्रामीण क्षेत्र के संवहनीय विकास के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1 (viii) में वर्णित ग्रामीण सड़क सम्पर्कता के कार्य लिए जाने के प्रावधान के अंतर्गत बारहमासी सड़क का कार्य कराया जावेगा।

4.1.2 **एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.** से मिट्टी खोदने तथा बिछाने का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाएगा। अर्थवर्क एवं मिट्टी के शोल्डर से जुड़े सभी कार्य **एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.** के अंतर्गत लिये जायेंगे। यह कार्य 60 : 40 की मजदूरी एवं सामग्री के अनुपात में किये जाएंगे।

4.2 **बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (BRGF)** योजना के अंतर्गत, जहां पर अधोसंरचना की कमी है, अधोसंरचना निर्माण से जुड़े कार्य लिये जा सकते हैं। प्रदेश के 29 जिलों में बीआरजीएफ योजना संचालित है। इन जिलों में सड़कों पर आवश्यक पुल पुलियों का निर्माण (स्वरूप कंडिका 3.5 अनुसार) बीआरजीएफ मद से किया जाएगा।

4.3 मुख्यमंत्री सड़क योजना :

4.3.1 21 जिलों में, जहां बीआरजीएफ योजना संचालित नहीं है, वहां पुल पुलियों का निर्माण (स्वरूप कंडिका 3.5 अनुसार) राज्य आयोजना मद से **मुख्यमंत्री सड़क योजनांतर्गत** किया जाएगा।

4.3.2 इसके अतिरिक्त ऐसी सड़कों पर जहां उपयुक्त गुणवत्ता की मिट्टी, मुरूम, ग्रेवल आदि उपलब्ध नहीं हो पाती है, वहां परिवहन व्यय में अधिकता के कारण, मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात संधारित करने में कठिनाई होती है। सामग्री / मिट्टी परिवहन में होने वाला 60 : 40 से

आधिक्य का व्यय **मुख्यमंत्री सड़क योजना** अंतर्गत विकलित किया जाएगा।

4.3.3 सड़क निर्माण हेतु वांछित गुणवत्ता का ग्रेवल अथवा कड़े मटेरियल की खुदाई/एकत्रीकरण (**Excavation**), श्रमिकों द्वारा संभव न होने पर, मशीनों (जे.सी.बी. आदि) के द्वारा किया जावेगा। इस पर होने वाला व्यय **मुख्यमंत्री सड़क योजना** अंतर्गत विकलित किया जाएगा।

4.4 योजनान्तर्गत वन ग्रामों को भी जोड़ा जावेंगा। इस हेतु यदि आवश्यक हो तो वन विभाग को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त कर कार्य कराया जावेंगा।

4.5 ग्राम की **आंतरिक सड़क** का निर्माण इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं किया जाएगा।

5. वित्तीय व्यवस्था :

योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्षवार एवं मदवार अनुमानित वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित हैः—

विवरण	कुल	वर्ष 2010—11	वर्ष 2011—12	वर्ष 2012—13
अनुमानित लंबाई (कि.मी. में)	19386	5816	7754	5816
कुल अनुमानित लागत (राशि रू. करोड में)	3296	989	1318	989
एमजीएनआरईजीएस से	2050	615	820	615
बी.आर.जी.एफ से	303	90	121	90
राज्य योजना से	943	282	379	282

5.1 विभिन्न अवयवों के लिये वित्त पोषण निम्नानुसार होगा :—

5.1.1 **एन.आर.ई.जी.एस. से :—**

i. मिट्टी खोदने, बिछाने का कार्य, जॉबकार्डधारी अकुशल श्रमिकों द्वारा।

ii. वाटरिंग, रोलिंग का कार्य— रोलर, टेंकर से ।

iii. काली मिट्टी के क्षेत्र में उपयुक्त गुणवत्ता की मिट्टी का परिवहन।

iv. डी.पी.आर बनाने, रिफ्रेसिंग एवं माप हेतु चिन्हांकन पोल / स्टोन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के कार्य कराने हेतु फील्ड कंसल्टेन्ट की नियुक्ति होगी जिसका भुगतान प्रशासनिक मद से।

5.1.2 **बीआरजीएफ से :–**

i. 29 बी.आर.जी.एफ. जिलों में पुल पुलियों का कार्य, निविदा पद्धति से ठेकेदारों द्वारा।

5.1.3 **मुख्यमंत्री सड़क योजना से :–**

i. प्रदेश के समस्त जिलो में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. से मिट्टी से निर्मित फारमेशन लेवल के ऊपर बेसकोर्स एवं सर्फेस कोर्स निर्मित कर, ग्रेवल मार्ग का निर्माण।

ii. एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के श्रम एवं सामग्री के 60:40 से आधिक्य सामग्री की मात्रा का परिवहन व्यय।

iii. गैर बी.आर.जी.एफ. 21 जिलों में पुल पुलियों का कार्य, निविदा पद्धति से ठेकेदारों द्वारा।

6. **कार्यान्वयन एजेन्सी :**

बारहमासी सड़कों का निर्माण **PMGSY** के मापदण्डों के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता के साथ प्रोजेक्ट मोड में पूर्ण किया जाना है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इसकी निर्माण एजेन्सी होगी।

7. **कार्यान्वयन पद्धति :**

7.1 इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को वर्ष 2013 तक प्राप्त करने का उद्देश्य है। इसलिये इसे **PMGSY** के समान प्रोजेक्ट मोड में करवाया जाएगा। चूंकि छोटी–छोटी लंबाई की सड़कों का निर्माण सामान्यतः बिखरे स्वरूप में विकासखण्डों में होगा। कार्य सुविधा एवं अनुश्रवण की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि पास–पास स्थित सड़कों के क्लस्टर बनाकर उसे एक युनिट की तरह कार्य निष्पादन के लिये लिया जावे। इससे प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग में सुविधा होगी। ऐसा करने से लेबर मोबिलाईजेशन सुविधाजनक होगा एवं पुल–पुलियों का निर्माण समेकित ठेके से कराया जा सकेगा।

7.2 प्रत्येक जिले में कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के रूप में कार्य करेंगे।

7.3 प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक ऐसे जिले, जहां 500 कि.मी. से अधिक सड़क निर्माण करना है, में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अतिरिक्त एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

8. ग्रेवल रोड निर्माण के विशिष्ट तकनीकी पहलू :–

8.1 बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यतः IRC : SP : 77 – 2008 (Manual For Design, Construction & Maintenance of Gravel Roads) , IRC : SP : 20-2002 (Rural Roads Manual) एवं Specification for Rural Roads August 2004 (MORD) के मापदण्डों पर आधारित होगी।

8.2 **IRC : SP : 77-2008** की कंडिका 2.2.2.2 एवं 2.2.3.1 में प्रावधानित ग्रेडिंग के अनुसार बेस कोर्स एवं सर्फेस कोर्स के निर्माण हेतु ग्रेवल, (जो सामान्यतः नदी, नालों में मिलने वाला बजरा अथवा कंकड़ीली कड़ी मुरूम होती है) में 4.75 मिली मीटर की छन्नी पर रूकने वाला कंकड़ अधिकांश जिलों मे कार्य की आवश्यकता से कम (50 प्रतिशत से कम) मिल पाता है, अतः इसे उपयुक्त ग्रेडिंग मे लाने हेतु 10 मिमी से छोटे आकार की गिट्टी आवश्यकतानुसार मिलानी पड़ सकती है, जिससे ग्रेवल की सी.बी.आर. भी बढ़ेगी।

8.3 **IRC : SP : 77–2008** की कंडिका 2.2.4 में यह प्रावधान है कि, यदि उपरोक्त बेस कोर्स/सर्फेस कोर्स का ग्रेवल स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है तो वहां उपयुक्त ग्रेडिंग एवं प्लास्टिसिटी इंडेक्स में लाने के लिए भी उसमें अन्य ग्रेडिंग का ग्रेवल अथवा क्रेशर गिट्टी मिलाई जा सकती है।

8.4 सामान्यतः ग्रेवल रोड में IRC : SP : 20-1979 की कंडिका 12.3.2 के अनुसार प्रतिवर्ष 25 मिमी (1 इंच) तक का क्षरण हो जाता है। इस कारण रूटीन तथा पीरियोडिकल मेन्टेनेन्स का कार्य एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. मद के अंतर्गत आगामी वर्षों में लिये जाने का प्रावधान करना होगा। यह कार्य श्रमबाहुल्य होगा एवं मजदूरों से कराया जा सकेगा।

8.5 यह भी उल्लेखनीय है कि यदि इन सड़कों पर भविष्य में डामरीकरण कराने की स्थिति बनती हैं तो ट्रेफिक इन्टेन्सिटी की आवश्यकतानुसार WBM परत निर्मित कर, डामरीकरण कराया जा सकेगा।

9. कार्य नियोजन :

9.1 चिन्हांकित सड़कों को डी.पी.सी. एवं/अथवा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से प्रत्येक वित्त पोषण कार्यक्रम के लिये निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुमोदित कराया जावेगा।

9.2 प्रस्तावित सड़कों का निर्माण प्रत्येक विकासखण्ड की कुल सड़कों के क्लस्टर बनाकर, प्रतिवर्ष इस हेतु वर्षवार चिन्हांकित क्लस्टरों में कार्य कराते हुए किया जाएगा।

9.3 **क्लस्टरों का चयन एवं अंतिम रूप देने का तरीका–**

9.3.1 विकासखण्ड में प्रस्तावित सड़कों की लंबाई को ध्यान में रखते हुये क्लस्टर संख्या तय की जाएगी।

9.3.2 प्रत्येक क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली सड़कों की न्यूनतम लंबाई 20 कि.मी. तथा अधिकतम 25 कि.मी. होगी। अंतिम क्लस्टर में सड़क की लंबाई 20 कि.मी. से कम हो सकती है। स्थलस्थिति की बाध्यता होने पर, अपवादस्वरूप भिन्न क्लस्टर साईज की स्वीकृति, विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।

9.3.3 लेबर मोबलाईजेशन की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि किसी एक वर्ष में लिये जाने वाले दो क्लस्टर एक दूसरे से सटे न हों। अपवाद स्वरूप केवल अंतिम वर्ष में ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है।

9.3.4 क्लस्टर बनाने के बाद जिस क्लस्टर में सर्वाधिक बिना जुड़े ग्राम होंगे, उसे प्रथम वर्ष का प्रथम क्लस्टर मानते हुए वर्षवार कार्य हेतु अन्य क्लस्टरों को चिन्हिंत किया जाएगा।

9.3.5 क्लस्टरों का निर्माण कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा करेंगे। विकासखण्डों के क्लस्टरों एवं वर्षवार प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की पुष्टि, जिले के प्रभारी मंत्री से दिनांक 15.4.2010 तक कराई जाएगी। इसका अनुमोदन जिला योजना समिति से कराया जावेगा।

9.4 सड़क का निर्माण जिले की निकटतम पक्की सड़क से यथा National Highway, State Highway, Major District Road (MDR), Other District Road (ODR), Village Road/Rural Road (PMGSY Road) से लेकर ग्राम/बसाहट के प्रारंभ तक किया जाएगा। परन्तु यदि ग्रामवासी अन्य वैकल्पिक सड़क निर्माण चाहते है तो उस सड़क की लंबाई प्रस्तावित न्यूनतम लंबाई से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। सड़क का डिजाइन इस प्रकार किया जाएगा कि ऊपरी चौड़ाई 6.0 मी. रहे।

9.5 प्रथम वर्ष 2010–11 में पारंपरिक तरीके से वॉक–थ्रू सर्वे के आधार पर प्राक्कलनों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जावेगी। इन कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान आवश्यक होने पर पुनरीक्षित स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी। कार्य संपादन के दौरान फील्ड कंसल्टेंट की नियुक्ति की जावेगी जिसके द्वारा सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल के साथ–साथ इस वर्ष के लिये भी डीपीआर तैयार किया जावेगा।

9.6 आगामी वर्षों के लिए प्रस्तावित क्लस्टरों के अंतर्गत आने वाली सड़कों के डीपीआर फील्ड कंसल्टेंट के माध्यम से तैयार कराए जावेंगे।

9.7 कार्य की अधिकता एवं विशिष्टता को देखते हुये प्रत्येक जिले में कार्यान्वयन एजेन्सी की सहायता हेतु फील्ड कंसल्टेंट की नियुक्ति विकास आयुक्त द्वारा निविदा के आधार पर की जायेगी। कंसल्टेंट, सड़क के प्रारंभिक लेवल लेगा, सड़क के लिये बैंच मार्क की व्यवस्था करेगा तथा सड़क का सीमांकन, रिफरेंसिंग आदि करेगा। कंसल्टेंट, समय–समय पर आवश्यकतानुसार सड़क की गुणवत्ता हेतु आवश्यक परीक्षण करेगा। संड़क के साइन बोर्ड एवं रोड़ फर्नीचर भी कन्स्लटेंट द्वारा लगाये जायेगे। कंसल्टेंट का भुगतान एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के प्रशासकीय मद से किया जाएगा।

9.8 प्रस्तावित सड़कों के लिए मिट्टी, मुरूम, ग्रेवल आदि कहां से प्राप्त होगी, इसका चिन्हांकन प्रथम वर्ष में वाक–थ्रू सर्वे के दौरान किया जाएगा एवं अन्य वर्षों में कन्सल्टेंट के सहयोग से PMU द्वारा किया जाएगा। उपयुक्त गुणवत्ता की सामग्री निकटतम स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु खंती (Borrow Area) एवं खदानों का चिन्हांकन, आवश्यक अनुमतियां एवं स्थल पर आवश्यक सहयोग (FACILITATION) कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।

9.9 बारहमासी सडक योजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सडकों में किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण का कोई प्रावधान नही किया जायेगा। पीएमजीएसवाय की पद्धति अनुसार यह सडकें वर्तमान में उपयोग किये जा रहे रास्तों पर निर्मित की जायेगी। तकनीकी आवश्यकता एवं अपवाद स्वरूप ही नए ALIGNMENT पर विचार किया जाएगा। यदि कही पर किसी व्यक्ति की निजी भूमि आती है तो उसकी सहमति प्राप्त कर शासन के नाम पर दान पत्र प्राप्त किया जायेगा।

10. योजना के अंतर्गत निर्मित सड़को का संधारण –

योजना के अंतर्गत ग्रेवल सडकों का निर्माण कराया जा रहा है। इन सडकों का डामरीकरण निकट भविष्य में संभव नही है। सडक की

डिजाईन 5 वर्ष के लिए की गई है। इसके लिए आवश्यक है कि सड़कों का वार्षिक संधारण अनिवार्य रूप से किया जाये। इस हेतु संधारण कार्य **MGNREGA के दिशा–निर्देश 2008 तृतीय संस्करण** के अध्याय 6 की कंडिका 6.1.3 के प्रावधान अनुसार किया जायेगा। संधारण कार्य के लिये पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेगे।

11. कार्यान्वयन व्यवस्था :

11.1 राज्य स्तर पर परिषद् मुख्यालय एवं विकास आयुक्त कार्यालय में अतिरिक्त तकनीकी अमले की व्यवस्था की जावेगी, जिसमें रू. 96.90 लाख वार्षिक व्यय होगा। विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट – 2** पर संलग्न है।

11.2 जिला स्तर पर पदस्थ कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अपने कार्य के साथ–साथ पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्य करेंगें।

11.3 प्रोजेक्ट मैंनेजमेंट यूनिट (PMU) में प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यपालन यंत्री के समकक्ष तथा सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर सहायक यंत्री के समकक्ष होंगे।

11.4 कार्यों का सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण, मापांकन एवं बिल आदि तैयार करने का कार्य कंसल्टेंट के सहयोग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.सेवा द्वारा अपने–अपने कार्य क्षेत्र मे किया जावेगा। जब तक जिले मे प्रस्तावित अतिरिक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट अस्तित्व मे नही आता है तब तक कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा यह दायित्व निर्वहन करेंगे।

11.5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को वर्तमान में कोई आहरण अधिकार दिया जाना प्रस्तावित नहीं है। आहरण संबंधी समस्त कार्य जिले के नियमित संभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जावेगा। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3** पर संलग्न है।

11.6 सामग्री परीक्षण हेतु एमपीआरआरडीए/ग्रायांसे की **प्रयोगशालाओं** का उपयोग किया जावेगा।

11.7 मुख्यालय स्तर पर तकनीकी मापदण्डों के निर्धारण एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं पर सलाह हेतु **राज्य स्तरीय सलाहकार मंडल** गठित किया जाएगा। **परिशिष्ट – 4**

11.8 राज्य स्तरीय सलाहकार मंडल की अनुशंसा पर तकनीकी परिपत्रों, निविदा प्रपत्रों, मानक प्राक्कलन एवं अन्य अभिलेखों के तैयार करने व मॉनिटरिंग एवं कार्यों के आकस्मिक निरीक्षण हेतु मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय द्वारा **कंसल्टेंट** नामांकित किये जाएंगे।

11.9 अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था पर होने वाला व्यय की पूर्ति निम्नानुसार की जाएगी –

11.9.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के प्रशासनिक मद से।

11.9.2 बीआरजीएफ के प्रशासनिक मद से।

12. योजना का प्रचार प्रसार –

बाहरमासी सडक योजना में केन्द्र की दो योजनाओं तथा राज्य की मुख्यमंत्री सडक योजना के साथ अभिसरण किया जा रहा है । अतः यह आवश्यक है कि इसके प्रावधानों का पर्याप्त प्रचार प्रसार जनसामान्य में किया जाये, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति न हो । इस हेतु राज्य स्तर से तथा जिला स्तर से सभी माध्यमों से योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार सुनियोजित प्रकार से किया जायेगा।

13. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षणः–

13.1 मॉनीटरिंग हेतु नरेगा के अंतर्गत एम.आई.एस. तथा एक्जिट प्रोटोकॉल की व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है, जिसका पालन बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना के लिये भी किया जावेगा। बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना की मॉनीटरिंग के लिये पृथक से सॉफ्टवेयर तैयार कराया जावेगा।

13.2 योजना की प्रगति प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्रों में तैयार की जावेगी।

13.3 गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य रूप से कराये जावेंगे। इसके लिये वर्तमान में जिलों में उपलब्ध **PMGSY** की प्रयोगशालाओं के उपकरणों का उपयोग किया जावेगा।

13.4 योजना अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों की सतत् मॉनीटरिंग राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर की जावेगी।

13.5 राज्य स्तर से विकास आयुक्त द्वारा प्रति त्रैमास पर योजना की प्रगति की समीक्षा की जायेगी । संभाग स्तर पर संभाग आयुक्त एवं जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा योजना की मासिक समीक्षा की जायेगी । जिला पंचायत तथा जनपद पंचायतों की बैठकों में योजना की प्रगति की जानकारी सूचनार्थ दी जायेगी ।

13.6 प्रदेश में राजस्व संभाग स्तर पर पदस्थ अधीक्षण यंत्री अपने वर्तमान दायित्वों के साथ–साथ, उनके अधीनस्थ जिलों में बारहमासी सड़कों के कार्यान्वयन, प्रगति एवं पर्यवेक्षण के लिए मुख्य अभियंता के प्रति उत्तरदायी होंगे।

13.7 कार्यो के पर्यवेक्षण के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की जायेगी –

13.7.1 जिले के प्रत्येक विकासखण्ड मे म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पदस्थ महाप्रबंधक PMGSY की प्रगतिरत सड़क के नजदीकी कम से कम एक सड़क के पर्यवेक्षण मे सहयोग करेंगे तथा दायित्वाधीन होंगे कि वे कार्यपालन यंत्री/प्रोजेक्ट मैनेजर से समन्वय कर इस सड़क पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/परिषद् के उस विकासखण्ड के तकनीकी अमले को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करेंगे। इस सड़क की सूचना कलेक्टर एवं अधीक्षण यंत्री को भी दी जावेंगी।

13.7.2 विभागीय अधिकारियों की सहायता कें लिये नियुक्त फील्ड कन्सल्टेन्ट कार्यो का मापन, सुपरवीजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल करेंगे।

13.7.3 कार्य विभाग नियमावली 1983 मे उल्लेख अनुसार सभी विभागीय अधिकारी दायित्वाधीन होंगे।

13.7.4 उपयंत्री, सहायक यंत्री –100 प्रतिशत कार्यो का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करेगें ।

13.7.5 कार्यपालन यंत्री /प्रोजेक्ट मैनेजर –प्रत्येक कार्य के 10 प्रतिशत आईटम का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करेगें ।

13.7.6 अधीक्षण यंत्री–2 प्रतिशत कार्यो का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करेगें ।

13.8 उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर स्टेट क्वालिटी मानिटर द्वारा कार्यो का निरीक्षण किया जायेगा

13.9 एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. एवं बीआरजीएफ योजनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत पारदर्शिता , पूर्व सक्रिय प्रकटन तथा सोशल ऑडिट से जुडी समस्त कार्रवाई भी सतत की जावेगी ।

14. समन्वय

योजना के क्रियान्वयन में कई स्थानों पर अंतर्विभागीय मुददे भी आयेगें इनका त्वरित निराकरण जिला स्तर पर करने हेतु निम्न समिति गठित की जायेगी :–

कलेक्टर	–	अध्यक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	–	सदस्य
कार्यपालन यंत्री ग्रायांसेवा	–	सदस्य सचिव
प्रोजेक्ट मैनेजर PMU	–	सदस्य सहसचिव
वनमंडलाधिकारी	–	सदस्य

एमपीईबी के जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य

खनिज अधिकारी – सदस्य

कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य जिला अधिकारी को आमंत्रित किया जावेगा।

15. रायल्टी का भुगतान

15.1 प्रचलित नियम निर्देशों के अनुसार वर्तमान में शासन द्वारा **MPRRDA** को **12 CBR** से कम के खनिज की रायल्टी एवं पंचायती राज संस्थाओं के कार्यो में गौण खनिज रायल्टी से छूट दी गई है।

15.2 बारहमासी सड़कों का निर्माण, आई.आर.सी. के एस.पी.– 77 के मापदण्डों, से कराया जाना है, जिसमें 12 से अधिक **CBR** की खनिज सामग्री का भी उपयोग होगा।

15.3 **12 CBR** से अधिक वाले गौण खनिज पर भारित होने वाली रायल्टी की राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री सड़क योजना से की जावेगी। इस हेतु प्राकल्लन मे प्रावधान किया जावें।

15.4 राज्य को प्राप्त खनिज की रायल्टी की राशि का अधिकांश हिस्सा त्रि–स्तरीय पंचायतीराज को अधोसंरचना आदि पंचायतों के विकास हेतु दिया जाता है। प्रस्तावित बारहमासी ग्रामीण सड़कों का अधिकतम उपयोग ग्रामीणजनों द्वारा किया जाना है एवं आवागमन का साधन मुहैया होने का प्रत्यक्ष रूप से व्यापक प्रभाव ग्रामीण विकास के रूप में परिलक्षित होगा।

कृपया कार्य को प्रोजेक्ट मोड में संपादित किये जाने हेतु कार्ययोजना अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 2999/MGNREGS-MP/NR-3/2010 दिनांक 27/03/2010

प्रतिलिपि–

1. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर्यावास भवन भोपाल।

4. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल ....(समस्त)।
7. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पीआईयू.............. समस्त मध्यप्रदेश।
8. कार्यक्रम अधिकारी (समस्त) MGNREGS-MP, जनपद पंचायत................. मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग